(40) Telangana - 1

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
पाधिकार स पकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 1883] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्यष्ठ 3, 1940
No. 1883] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

का. आ. 2078(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 281 (अ) के तहत लाल बहादुर नगर, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना के पांचवें अपर जिला तथा सत्र न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका न्याय क्षेत्राधिकार संपूर्ण तेलंगाना राज्य होगा;

और जबकि, डॉ. टी. श्रीनिवास राव, पांचवें अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश, जिनको भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 30 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 289 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (1) एवं (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 281 (अ) और दिनांक 30 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 289 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, हैदराबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर महानगर सत्र न्यायाधीश न्यायालय-सह-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, रंगा रेड्डी जिला, लाल बहादुर नगर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच किए जाने वाले